भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AD 032662

16/10/17

3088/02

1650006

102

क्रम संख्या 1467
स्टाम्प विक्रय की तिथि 21-11-17
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता प्रदीप श्रीवास्तव (एडो)
स्टाम्प की धनराशि द्वारा
हंसराज यादव, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नम्बर 229,
लाइ० की अवधि 31-03-2019
कलेक्ट्रेट कार्ट, लखनऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

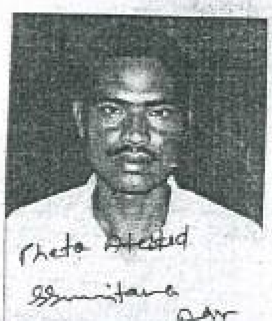

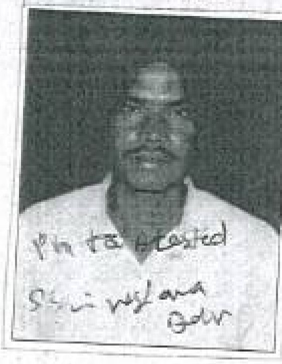

–:: लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण ::–

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	मोहनलालगंज
3.	मोहल्ला / ग्राम	:	कबीरपुर
4.	सम्पत्ति का विवरण	:	खसरा सं0–1 मि0 रकबा 0.4360 खसरा सं0–3 मि0 रकबा 0.1260 कुल रकबा 0.5620 हेक्टेयर

विक्रय 3300.000 मालि० 11,80,200

नि०शु० ह०न० ह०मु० योग शब्द ल०म० 1700

5000+20+20/= 5040/

बाबूलाल

श्री/~~श्रीमती~~ बाबूलाल पुत्र/~~पत्नी~~ ... पेशा खेती निवासी कबीरपुर

यह लेख पत्र कार्यालय उप-निबन्धक मोहनलालगंज लखनऊ में आज दिनांक ... समय ... में पेश किया।

उप निबन्धक मोहनलालगंज, लखनऊ

निष्पादन लेख पत्र बाद सुनने व समझने ... 3300000/- ... प्राप्त ... उनसे ... बाबूलाल ... पुत्र ... विशेश्वर ... नि० ...

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24 JUL 2002 95617

(2)

5. मापन की इकाई : हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्राफल : 0.4360+0.1260=0.5620 हे0
7. सड़क की स्थिति : सुल्तानपुर मुख्य रोड पर स्थित है।
8. अन्य विवरण : लागू नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि भूमि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्राफल : 0.4360+0.1260=0.5620 हे0
11. कुल अच्छादित क्षेत्राफल : लागू नहीं है।
12. स्थिति : लागू नहीं है।
13. पेड़ों का मूल्यांकन : नहीं
14. बोरिंग / कुआं / अन्य : लागू नहीं है।

Bihari lal

जिनकी पहचान श्री ....
पुत्र श्री ....
निवासी ....
व श्री .... पुत्र श्री ....
पेशा .... निवासी ....

उप निबन्धक
मोहनलालगंज, लखनऊ

Bihari Lal

Amarendra

ऊपर मार्क
अंगूठे निशान

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

15. निर्मित क्षेत्राफल : लागू नहीं है।
16. निर्माण का वर्ष : लागू नहीं है।
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है : नहीं
18. प्रतिफल की धनराशि : रू0 33,00,000/-

खसरा सं0—1मि0

पूरब — नाला
पश्चिम — खड़न्जा मार्ग
उत्तर — चन्द्रभान का खेत
दक्षिण — सुल्तानपुर रोड

कार्यालय

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2956

(4)

खसरा सं0–3मि0

पूरब	–	मकान राम सनेही
पश्चिम	–	नाला
उत्तर	–	चन्द्रभान का खेत
दक्षिण	–	सुल्तानपुर रोड

विक्रेता की सं0–1

बाबूलाल, पुत्र जज्जू, निवासी–कबीरपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ।

क्रेता की सं0–1

बिहारी लाल, पुत्र स्व0 दयाराम निवासी–बी–46, जे0 पार्क महानगर, लखनऊ।

आदर्श [illegible]

दिनांक [illegible]

रुपया [illegible] नकद प्राप्त

नाम [illegible]

द्वारा [illegible]

स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY.

(5)

परगना	: मोहनलालगंज
विक्रय–मूल्य	: रू0 33,00,000/–
बाजारू–मूल्य	: रू0 11,80,200/–
स्टाम्प ड्यूटी	: रू0 1,65,000/–

–:: विक्रय विलेख ::–

यह विक्रय–विलेख **बाबूलाल,** पुत्र जज्जू, निवासी–कबीरपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ (जिसे एतद्द्वारा "**विक्रेता**" कहा गया

आदर्श कोषागार, [illegible]
दिनांक [illegible] ....
रु० [illegible] .... अनवरत संख्या
[illegible]
स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक
Rs 20000 रु
बीस हज़ार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29562

(6)

है और जिसका तात्पर्य जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त विक्रेता, उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक एवं प्रशासक से है और सम्मिलित हैं।)

एवम्

बिहारी लाल, पुत्र स्व0 दयाराम, निवासी–बी–46, जे0 पार्क महानगर, लखनऊ। (जिन्हे एतद्द्वारा ''क्रेता'' कहा गया है, और जिसका तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक एवं प्रशासक से है और सम्मिलित हैं) के मध्य निष्पादित किया गया।

Biharilal

(5)

[illegible] रागार [illegible]

[illegible]

स० रो०क्रिया [illegible] मुक० रा०क्रिया

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

059651

(7)

जोकि खसरा सं0 1 मि. रकबा 0.4360 हेक्टेयर तथा खसरा सं0 3 मि. रकबा 0.1260 हेक्टेयर, कुल 2 किता व कुल रकबा 0.5620 हेक्टेयर है। उक्त भूमि ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में स्थित है और जिसके कि प्रथम पक्ष श्रेणी 1 क. का सम्पूर्ण भाग का खातेदार व संक्रमणीय भूमिधर है।

जोकि उक्त आराजी विक्रेता के पिता श्री जज्जू के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी और उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके स्थान पर, वाद सं0 134 में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.1986 के आधार पर विक्रेता के नाम बतौर वारिस दर्ज की गयी, जिसपर कि विक्रेता का निरन्तर काबिज है व उन्हें उक्त आराजी में अपने भाग को स्थानान्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

Bihari lal

लखनऊ

रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ
लखनऊ कोषागार से जारी
23 IIII
स. को. अ / कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
LKO TRY

जोकि ग्राम कबीरपुर के लेखपाल द्वारा दिनांक 09.07.08 को जारी किये गये उद्धरण खसरा के अनुसार उपरोक्त खसरा सं0 1 मि. व 3 मि: विक्रेता के नाम बतौर खातेदार संक्रमणीय भूमिधर अभिलिखित है।

जोकि कार्यालय तहसीलदार (भू–लेख अनुभाग) मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा जारी की गयी प्रमाणित उद्धरण खतौनी जोकि फसली वर्ष 1414–1419 से सम्बन्धित है और जिसका कि खाता खतौनी क्रम सं0 39030600231 है के अनुसार विक्रेता का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है।

क्रमांक 6681 कीमत 5000

दिनांक 28/7/08

प्रयोजन [illegible]

क्रेता का नाम बिहारी लाल s/o [illegible] 213

पता [illegible]

के० लता श्रीवास्तव

ला० नं० 58 ला० ता० 31/3/2010

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

15 JUL

(9)

जोकि विक्रेता उद्‌घोषित करता है कि उनके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (पार्ट–3) के अन्तर्गत न तो सक्षम प्राधिकारी से कोई नोटिस प्राप्त हुई है और न ही उन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत, उक्त आराजी से सम्बन्धित अधिग्रहण की किसी भी नोटिस के प्रकाशन का ज्ञान है।

जोकि विक्रेता यह भी वचन देता है व उद्‌घोषित करता है कि उपरोक्त खसरा सं0 1 मि. व खसरा सं0 3 मि. चकबन्दी के पूर्व पुराने खसरा सं0 2 मि. से बना है। इसके अतिरिक्त विक्रेता या उसके हित उत्तराधिकारी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित पुराने खसरा संख्या व उसके जुज भाग से सम्बन्धित किसी भी समय किसी व्यक्ति से या कम्पनी या विधिक अस्तित्व, से न तो कोई पंजीकृत या अपंजीकृत इकरारनामा ही किया गया है और न ही उनके द्वारा उक्त खसरा संख्या से सम्बन्धित कोई विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है।

Bihari lal

क्रमांक 6007

स्टाम्प बिक्री की तिथि .... [illegible] 2008

... क्रय करने का प्रयोजन 200

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... बिहारी लाल पु. दया राम

स्टाम्प की धनराशि 200 ....

मो0 युसुफ निज़ामी स्टाम्प विक्रेता,
लाइसेन्स नं0 134
लाइसेन्स की अवधि 31.3.2013
दीवानी लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

D 185985

8 JUL 2008

(10)

जोकि विक्रेता वचन देता है व उद्घोषित करता है कि इस विक्रय अभिलेख के पूर्व उनके द्वारा उपरोक्त आराजी में अपने हिस्से व उसके जुज़ भाग से सम्बन्धित उनके द्वारा किसी समय भी किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या विधिक अस्तित्व से न तो कोई बयाना नगद व चेक व बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया गया है और न ही पंजीकृत या अपंजीकृत इकरारनामा किया गया है और न ही कोई विक्रय अभिलेख निष्पादित किया गया हैं। वर्तमान में क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा उपरोक्त विक्रय अभिलेख, उपरोक्त आराजी से सम्बन्धित, प्रथम विक्रय अभिलेख है।

Bihari Lal

6088.

क्रम संख्या [illegible]

स्टाम्प विक्रय की तिथि 28-07-08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 5000

[illegible] स्टाम्प-विक्रेता,

लाइसेन्स नं० 134

लाइसेन्स की अवधि 31.3.2013

दीवानी लखनऊ

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

D 185986

0 8 JUL 2006

(11)

जोकि विक्रेता वचन देता है व उद्घोषित करता है कि उपरोक्त आराजी खसरा सं0–1 मि. व 3 मि. स्थित ग्राम कबीरपुर, परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ, का वह पूर्ण तथा अनन्य स्वामी है और जिसमें कि विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी हिस्सा या किसी प्रकार का कोई भी हक या अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी किसी भी हिन्दू अविभाजित परिवार से सम्बन्धित नहीं है।

जोकि उपरोक्त आराजी मशकूर कहीं किसी तौर पर, बय, बन्धक, हिबा या, मुश्तगरक ज़मानत वग़ैरह नहीं है या इन्कम–टैक्स या सेल्स–टैक्स या किसी

दस्तख़त

6089

क्रमांक ....

स्टाम्प विक्रय की तिथि.......... 28-07-08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......... 200

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......... [illegible] श्री, दया राम

....

स्टाम्प के खरीदार [illegible]..........

मो० यूसुफ जिलानी स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स नं० 134

लाइसेन्स की अवधि 31.3.2013

दीवानी लखनऊ

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

D 181166

23

(12)

मुकदमें की डिक्री की रकम की वसूलयाबी में कुर्क बरसरे नीलाम वगैरह नहीं है। उक्त आराजी मज़कूर लखनऊ विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद या सरकारी या गैर सरकारी स्कीम के तहत अधिग्रहित नहीं है और न ही वर्तमान में सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी भी योजना के अन्तर्गत अभिग्रहण की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है। उक्त आराजी मज़कूर को हस्तांतरित करने से विक्रेता को रोका नहीं गया है, उक्त आराजी मज़कूर की मिलकियत के सिलसिले में किसी भी अदालत दीवानी या फ़ौजदारी में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। विक्रेता ज़रिये किसी हुक्म इम्तिनाई मज़रिया अदालत को उक्त आराजी हर बार व दयून से पाक व साफ़ है और विक्रेता को जुमला अख़्तियारात, मालिकाना या तसर्रूफ़ाना हकूक़, इन्तकाली निस्बत उक्त आराजी मज़कूर के हासिल है।

6327

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

D 181165

23

(13)

जोकि विक्रेता अपनी रार्जी खुशी व खूब–सोच व समझकर बिला किसी दबाव नाजायज़ के बदुरूस्त होश–हवास में बज़रूरत खुद के उपरोक्त कृषि आराजी खसरा संख्या 1 मि. रकबा 0.4360 हेक्टेयर तथा खसरा सं0 3 मि. रकबा 0.1260 हेक्टेयर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.5620 हेक्टेयर है, उक्त भूमि ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ (जिसका कि विस्तृत विवरण इस विक्रय–विलेख के अंत में दिया गया है), को मय जुमला हुकूक, मुताालिकात छोड़े बिला किसी चीज़ व हक़ व जुज़ के बिल एवं मुबलिग रू0 33,00,000/– (रू0 तेतीस लाख मात्रा) जिसके आधे मुबलिग रू0 16,50,000/– (रू0 सोलह लाख पचास हजार मात्रा) बदस्त उपरोक्त क्रेता

6328

[illegible] 29/7/08

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

(14)

बिहारी लाल, पुत्र स्व0 दयाराम निवासी बी–46, जे0 पार्क महानगर, लखनऊ को, बय कतई किया और कुल विक्रय–मूल्य अन्त में लिखे अनुसार क्रेता से समक्ष उपनिबन्धक, वसूल पाकर कब्ज़ा कतई व दख़ल मालिकाना आज की तारीख से विक्रय–शुदा उपरोक्त कृषि आराजी, रकबा उपरोक्त (जिसका कि विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है) पर क्रेता का बखूबी करा दिया। अब विक्रेता व विक्रेता के वारिसान का कोई भी दावा व हक़ बाबत विक्रय शुदा आराजी व रकबा उपरोक्त एवं वसूलयाबी मूलधन से नहीं रहा। अब अगर कोई शख़्स दावा करे तो वह नाजायज़ होवे और किसी की दावेदारी हक़दारी, उज्रदारी से विक्रय–शुदा आराजी का कुल भाग अथवा आंशिक भाग क्रेता से किसी भी समय में निकल जावे अथवा कहीं विक्रय, बन्धक, दान आदि पाया,

6329

25/07/2016

બિહારી લાલ- ડી. દરજ ગાંધા

[illegible]

200

[illegible]

[illegible]

जाये तो ऐसी दशा में क्रेता को हक व अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय–मूल्य मय हर्जा व खर्चे के विक्रेता से व विक्रेता के वारिसान से या विक्रेता का अन्य चल एव अचल सम्पत्ति जो कहीं भी स्थित हो, से वसूल कर लेवे, कोई मुकाम उज्र का न होगा।

जोकि आराजी खसरा बिक्रीशुदा के कुल सरकारी देय वगैरह आज की तारीख तक विक्रेता द्वारा अदा किये जा चुके हैं अगर भविष्य में इस विक्रय–विलेख के निष्पादन की तिथि से पूर्व क़िसी प्रकार का कोई बकाया पाया जाएगा तो उसे अदा करने की ज़िम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज की तारीख के पश्चात् क्रेता को अधिकार होगा कि वह भूमि बिक्रीशुदा के समस्त देय वगैरह अदा करें। इसमें विक्रेता व उत्तराधिकारी–विक्रेता का कोई उज्रदारी नहीं होगी।

जोकि विक्रेता, क्रेता से प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा उनके द्वारा शान्ति पूर्वक प्रवेश की जायेगी और क्रेता द्वारा उसे पूर्ण स्वामी के रूप में, विक्रेता के बिना किसी हस्तक्षेप या किसी रूकावट के उपभोग व किसी प्रकार से भी इस्तेमाल की जायेगी।

जोकि विक्रेता, क्रेता से प्रसंविदा करता है कि भविष्य में उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा को उनके द्वारा बतौर मालिक उसे उपभोग करने के लिए अगर किसी भी समय विक्रेता के किसी कृत की आवश्यकता होगी तो विक्रेता क्रेता के पक्ष में ऐसे कृत को पूर्ण व निष्पादित करने को बाध्य रहेगा।

जोकि क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि विक्रेता द्वारा, उपरोक्त विक्री शुदा कृषि आराजी खसरा, निष्पादित किये गये इस विक्रय अभिलेख के आधार पर वह अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा ले और जिसके लिए विक्रेता वचन देता है कि वह दाखिल खारिज की समस्त कार्यवाही में वह अपना बयान दर्ज करायेगा तथा पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे।

जोकि विक्रेता, क्रेता से प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा कृषि भूमि है व राजस्व अभिलेखों में बतौर कृषि भूमि दर्ज है।

कार्यालय [illegible] निदेशक [illegible] मोहर

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है और न ही उक्त भूमि पर कोई कुआं/ट्यूबवेल, या बोरिंग है।

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा न तो बंजर है और न ही उस पर कोई तालाब है और न ही उक्त आराजी पट्टे की है।

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा के हस्तान्तरण से उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1952 की धारा 168 ए, के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड पर स्थित है जोकि जनपदीय मार्ग है व परिशिष्ट क में उल्लिखित मार्ग है परन्तु 500 मीटर की परिधि में कोई निर्माण नहीं है।

जोकि विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा इस विक्रय विलेख के पूर्व उनके मध्य कोई भी इक़रार नामा नहीं हुआ है।

जोकि उपरोक्त विक्रीशुदा कृषि आराजी खसरा पर कोई फलदार वृक्ष या इमारती लकड़ी के वृक्ष नहीं लगे हैं।

जोकि उपरोक्त बिक्रीशुदा आराजी कृषि भूमि है व ग्राम कबीरपुर में स्थित है जोकि सामान्य ग्राम की श्रेणी में आता है, इसके अतिरिक्त नगर निगम की सीमा से बाहर है।

विक्रय किये जा रहे आराजी कृषि खसरा संख्या 1 मि. रकबा 0.4360 हेक्टेयर तथा खसरा सं0 3 मि. रकबा 0.1260 हेक्टेयर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.5620 हेक्टेयर है उक्त आराजी परिशिष्ट क में दर्शाये गये मार्ग पर स्थित है जिसका सर्किल रेट 21,00,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर है जिसके अनुसार विक्रित आराजी की बाजारू मालियत 11,80,200/- होती है, परन्तु विक्रय मूल्य 33,00,000/- रूपये है जोकि बाजारू मालियत से अधिक है और जिस पर कि नियमानुसार 5 प्रतिशत की दर से मुबलिग रू0 1,65,000/- की स्टाम्प डयूटी इस विक्रय अभिलेख पर अदा की जा रही है।

कार्यालय [illegible] निबन्धक

विक्रेता ने अपनी पहचान के साक्ष्य में अपने नाम की किसान बही सं0 189335 जोकि राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गयी है, प्रस्तुत किया जिसके आधार पर उसकी फोटो प्रमाणित की गयी।

विवरण विक्रीशुदा कृषि आराजी

आाजी खसरा संख्या 1 मि. रकबा 0.4360 हेक्टेयर तथा खसरा सं0 3 मि. रकबा 0.1260 हेक्टेयर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.5620 हेक्टेयर है स्थित– ग्राम कबीरपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

खसरा सं0–1मि0

पूरब	–	नाला
पश्चिम	–	खड़न्जा मार्ग
उत्तर	–	चन्द्रभान का खेत
दक्षिण	–	सुल्तानपुर रोड

खसरा सं0–3मि0

पूरब	–	मकान राम सनेही
पश्चिम	–	नाला
उत्तर	–	चन्द्रभान का खेत
दक्षिण	–	सुल्तानपुर रोड

तफसील वसूलयाबी जर समन

एकाउन्ट पेई चेक सं0– 553688 दिनांक 28.07.2008 रू0 33,00,000/– (रू0 तेतीस लाख मात्रा), केनरा बैंक, हजरतगंज शाखा, लखनऊ पर आहरित है।

अब विक्रेता को क्रेता से कोई धनराशि प्राप्त करना शेष नहीं रह गयी है। इस विक्रय–विलेख का मसविदा विक्रेता व क्रेता के बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। और जिसे कि विक्रेता व क्रेता को पढ़कर सुनाया गया और जिसको कि दोनों ने भलीभांति समझ लिया है।

Bikari Lal

[illegible]

लिहाज़ा यह विक्रय–विलेख समक्ष गवाहान आज दिनांक 28 जुलाई, 2008 को तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में विक्रेता ने बिना किसी ज़ोर–दबाव के अपनी स्वेच्छा एवं स्वस्थ मस्तिष्क से क्रेता के हक में निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत पर काम आवे।

गवाहान :–

1.अमरेन्द्र वर्मा
पुत्र राम मिलन वर्मा,
नि0–गोसाईगंज, लखनऊ।

(बाबू लाल)
विक्रेता

2.विजय पाल सिंह,
पुत्र स्व0 स्वतन्त्र पाल सिंह,
नि0–हीरालाल कालोनी, सरोजनी नगर, लखनऊ।

(बिहारी लाल)
क्रेता

टाईपकर्ता :–
(विमल सिंह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता :–
(संजय श्रीवास्तव)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

कार्यालय

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता / क्रेता का नाम पता :– **बाबूलाल,** पुत्र जज्जू, निवासी–कबीरपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ।

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

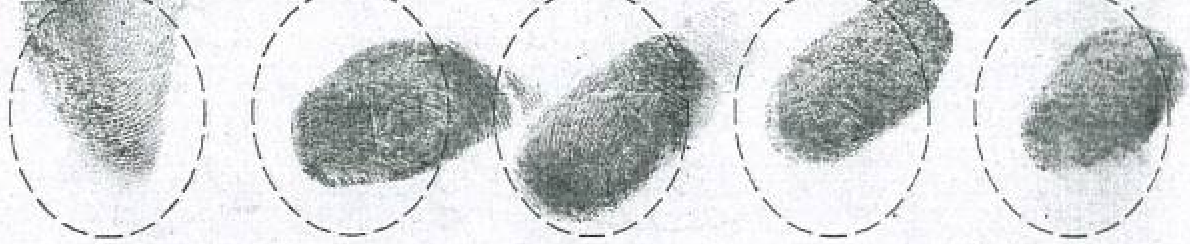

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम पता :– **बिहारी लाल,** पुत्र स्व0 दयाराम निवासी–बी–4[illegible] पार्क महानगर, लखनऊ।

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

नजरी नक्शा भूमि विक्रीत की 200 मी० की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का

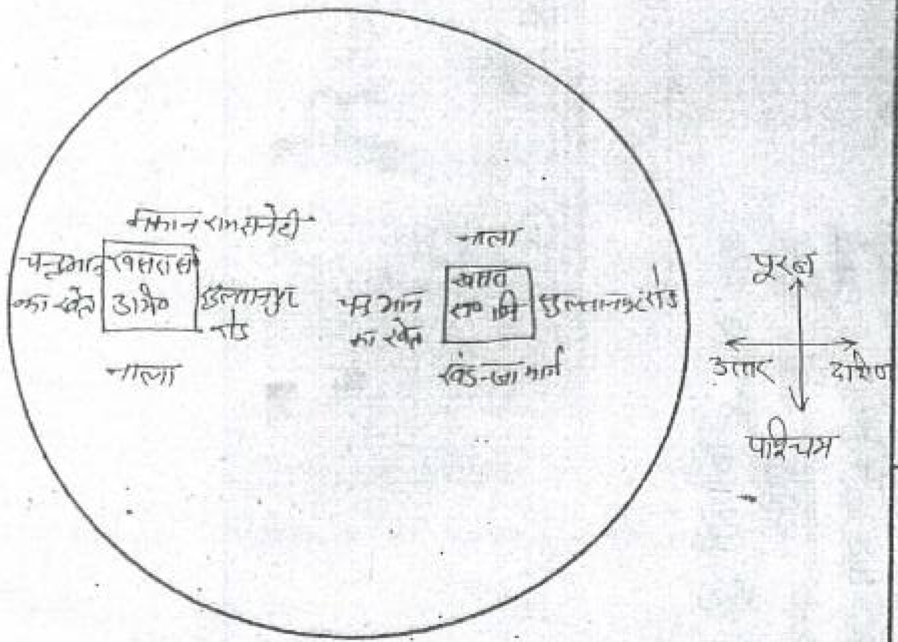

विक्रेता का नाम श्री बाबूलाल..........
पिता का नाम :- स्व० जगन्नू..........
नि० ग्राम :- कबीरपुर पो० गोसाईगंज

क्षेत्रफल ....
भूमि स्थित ग्राम... कबीरपुर...
परगना... मोहनलालगंज...
तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ।

ह०/नि०अ०विक्रेता

ह०/नि०अ० क्रेता
Bihari Lal

मसविदाकर्ता के हस्ताक्षर
Srivastava

दिनांक :- 28/3/08

आज दि० [illegible] को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक संख्या [illegible] खण्ड 1653 के
पृष्ठ 223 / 262 पर क्रम संख्या [illegible] पर
रजिस्ट्रीकृत किया गया

एस० के० मिश्र
उप निबन्धक
मोहनलालगंज, लखनऊ

छाया प्रति प्रमाणित

उप निबन्धक
मोहनलालगंज, लखनऊ
11-8-17

अशोक कुमार गुप्ता
नि० लि०

शुभम श्रीवा०
नि० लि०